



2026:AHC:127914

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18582/2026

राजीव कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के लिए अधिवक्ता : अनिकेत कुमार, गरिमा यादव, गौरव यादव

विपक्षी के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. यह जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 41/2026 अंतर्गत धारा 352, 351(3), 109(1) बीएनएस, पुलिस स्टेशन उसराहार, जिला इटावा, में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक सहित सभी चार अभियुक्तों के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए हैं। उन्हें कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। यह कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित है कि आरोपी लाठी और डंडे (बांस की छड़ियों) से लैस थे और उन्होंने रोक्सी और अंकित को चोटें पहुंचाईं। उपरोक्त घायलों की चोट रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि चोटें सड़क दुर्घटना (आरटीए) में लगी थीं। दोनों घायलों को शरीर पर एक-एक चोट आई थी। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक को कथित घटना में पहले ही चोटें आई थीं और 29.3.2026 को उनकी चिकित्सकीय परीक्षण की गई थी। आवेदक की चोट रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी दाहिनी भों पर दो गहरे घाव थे। यह भी तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त प्रियांशु यादव की अग्रिम जमानत याचिका इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 22.4.2026 के आदेश द्वारा स्वीकार कर ली गई है और सुनील कुमार का नाम विवेचक द्वारा निकल दिया गया है, इसलिए विवेचक द्वारा उनके खिलाफ कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया था। इस वाद में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। आवेदक का आपराधिक इतिहास जमानत याचिका के पैराग्राफ संख्या 15 में अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक 30.3.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक के खिलाफ अपराध में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए वह जमानत पर मुक्त होने का अधिकारी नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि सह-अभियुक्त की जमानत याचिका इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 28.4.2026 को निरस्त कर दी गई थी।

5. मैंने दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. दोनों पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख में प्रस्तुत साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव पर विचार करने के बाद, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने का वाद सिद्ध कर दिया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त वाद में अपराध में संलिप्त आवेदक **राजीव कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष स्वयं या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iii) यदि आवेदक सुनवाई के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/ 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बीएनएस के तहत कार्यवाही प्रारंभ करेगी।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष (1) सुनवाई शुरू होने, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 सीआरपीसी/ 351 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत ओर करते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय व्यक्त करने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।